राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

संख्या एफ. 02/7/2020/एस–I/75 **दिनांक 21.04.2020**

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कोविड–19 महामारी के संक्रमण के कारण चिंतित है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने स्थिति से समुचित ढंग से निपटने के सभी आवश्यक उपाय करने के लिये समय–समय पर सभी संबंधित प्राधिकरणों को विभिन्न आदेश/अनुदेश जारी किये हैं।

और जबकि, कोविड–19 महामारी से मरने वाले लोगों के पार्थिव अवशेष से संक्रमण फैलने की आशंकाओं को लेकर कब्रिस्तान या शमशान/अंतिम संस्कार स्थलों के आसपास रहने वालों में चिंता और तनाव हो सकता है। इस संबंध में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (ई0एम0आर0प्रभाग) ने कोविड–19 महामारी के संदिग्ध या संक्रमण की पुष्टि वाले वृद्धि के पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार से संबंधित विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये हैं। इसमें आइसोलेशन क्षेत्र, शवगृह, एंबुलेंस में पार्थिक शरीर लाने – ले जाने और रखने वाले कर्मचारियों तथा शमशान/अंतिम संस्कार स्थलों पर काम करने वालों का प्रशिक्षण दिशा–निर्देश भी शामिल है।

अत एवं अद्योहस्ताक्षरकर्ता आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) तथा सभी स्थानीय निकायों को, कोविड–19 के संदिग्ध या संक्रमण की पुष्टि वाले लोगों के पार्थिव शरीर को लाने–ले जाने और दफनाने से संबंधित उपर्युक्त दिशा–निर्देशों (प्रति संलग्न) का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने का निदेश देता है। सभी जिला मजिस्ट्रेटों को पार्थिव अवशेष से संक्रमण की आशंकाओं, विशेषकर कब्रिस्तान/शमशान भूमि के निकट रहने वालों की आशंकाओं और भ्रांतियों को दूर करने के लिए जागारूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया जाता है।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

सेवा में,

1. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्
2. प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. आयुक्त (दक्षिण/पूर्व/उत्तर, दिल्ली नगर निगम)।
4. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सीईओ, दिल्ली छावनी बोर्ड।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थः—

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप—मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. प्रधान सचिव (राजस्व)—सह — मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
11. समस्त सदस्य राज्य कार्यकारी समिति, डीडीएमए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
12. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय को व्यापक प्रचार हेतु।
13. एसआईओ, एनआईसी को दिल्ली सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. गार्ड फाईल